

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY,
PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)

NOTIFICATION

No. 43/2026-Customs (N.T.)

New Delhi, the 06 May, 2026

S.O. (E). – In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (c) of sub-section (1) of section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 63/1994-Customs (N.T.), dated the 21st November, 1994, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 830 (E), dated the 21st November, 1994, namely: -

In the said notification, in the TABLE, against serial number 3 relating to land frontier of Bhutan, in column (3) after item (10) and the corresponding entry relating thereto in column (4), the following entries in columns (3) and (4) shall respectively be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)
		“(11) Samrang	Rangia - Tamulpur-Dimakuchi motorable road from Samrang (India) to Samrang (Bhutan)”

(F.No.554/02/2021-LC)



(INDRAJIT PANDA)
Under Secretary to the Government of India

Note: The principal notification No. 63/1994- Customs (N.T.), dated the 21st November, 1994 was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number S.O. 830(E), dated the 21st November, 1994 and was last amended *vide* notification No. 36/2025-Customs (N.T.), dated the 23rd May, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 2312 (E), dated the 23rd May, 2025.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

सं. 43/2026-सीमा शुल्क (गै.टै.)


नई दिल्ली, 06 मई, 2026

का.आ. __ (अ). - सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) और (ग) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 63/1994-सीमा शुल्क (गै.टै.) दिनांक 21 नवम्बर, 1994 जिसे का.आ. सं. 830 (अ) दिनांक 21 नवम्बर, 1994 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में एतद्वारा आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, भूटान की भूमि सीमा से संबंधित क्रम सं. 3 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (10) और उससे संबंधित संगत प्रविष्टि कॉलम (4) के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ कॉलम (3) और (4) में क्रमशः अन्तःस्थापित की जाएगी, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)
		"(11) समरंग	समरंग (भारत) के रंगिया-तामुलपुर-दिमाकुची मोटर चलने लायक सड़क से समरंग (भूटान)"

[फा.सं. 554/02/2021-एल.सी]



(इंद्रजीत पांडा)

भारत सरकार के अवर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. 63/1994-सीमा शुल्क (गै.टै.), दिनांक 21 नवम्बर, 1994 को का.आ. संख्या 830 (अ), दिनांक 21 नवम्बर, 1994 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 36/2025-सीमा शुल्क (गै.टै.), दिनांक 23 मई, 2025 जिसे का.आ. संख्या 2312 (अ) दिनांक 23 मई, 2025 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित किया गया था, के तहत संशोधन किया गया था।